

"Greater Participation for a Stronger Democracy"

Election Department, Government of Himachal Pradesh
38-SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9

No: 3-12/2008-ELN

2414

Dated:

22nd April, 2019.

From:

The Chief Electoral Officer,
Himachal Pradesh.

To

1. All the District Election Officers (DCs),
in Himachal Pradesh.
2. All the Returning Officers,
for Parliamentary Constituencies
in Himachal Pradesh.

Subject: General Elections to the Lok Sabha-2019—Allotment of
Symbols-Authorization of persons to intimate names of
candidates.

Sir/Madam,

I am to send herewith copies of Form A received from the
following Political Parties, for information and necessary action:-

Sr. No.	Name of the Party
1	Bahujan Samaj Party
2	Spakas Party

The Presidents of these Political Parties have sent
authorization of person to intimate the names of the candidates
proposed to be set up by the Party in the Lok Sabha Election 2019 in
the State of Himachal Pradesh.

Yours faithfully

Encls: 4 Pages.


Addl. Chief Electoral Officer,
Himachal Pradesh.

Copy to Computer Cell for uploading in the CEO's website.

अनुबंध - 25
(अध्याय -VIII, पैरा8,4,3)

भाग-II

प्ररूप 'क'

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनीतिक दल अथवा रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सुचना।

(निर्वाचन प्रतीक (आरक्षणऔर आबंटन)आदेश ,

1968 का पैरा 13 (ग), (घ) और (ङ.) देखें

सेवा में

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
हिमांचल प्रदेश - शिमला ।
2. रिटनिंग आफिसर,


_____ निर्वाचन क्षेत्र म.प्र.

विषय:- लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए हिमांचल प्रदेश राज्य के संसदीय क्षेत्रों के लिए साधारण प्रतीकों का आवंटन अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत करना।

महोदय/महोदया,

निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13(ग), (घ) और (ङ.) के अनुसरण में मैं एतद्वारा यह सूचित करता हूँ कि दल, जो कि हिमांचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) को प्राधिकृत किया गया है। जो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए खड़े किए जाने वाले प्रास्तवित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना देगा/देंगे।

नोटिस भेजने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद	जिला(जिलों)क्षेत्र(क्षेत्रों) निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिए प्राधिकृत किया गया है
1. हीरालाल त्रिवेदी	अध्यक्ष	हिमांचल प्रदेश राज्य की सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
3. डॉ. वीणा घाणेकर	उपाध्यक्ष	हिमांचल प्रदेश राज्य की सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
2.श्री हरीओम गुप्ता	महासचिव	हिमांचल प्रदेश राज्य की सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए



2. उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति (यों) के हस्ताक्षर के नमूने नीचे दिए गए हैं:-

1. श्री हीरालाल त्रिवेदी के हस्ताक्षर के नमूने (i).....(ii).....
2. डॉ. वीणा घाणेकर के हस्ताक्षर के नमूने (i).....(ii).....
3. श्री हरीओम गुप्ता के हस्ताक्षर के नमूने (i).....(ii).....

भवदीय

डॉ. हीरालाल त्रिवेदी
अध्यक्ष
सपाक्स पार्टी

स्थान भोपाल

तारीख/१/०३/२०१९

दल का मुहर

टिप्पणी:-

1. नामनिर्देशन की अंतिमक तारीख का 3 बजे अपराहन से पहले इसे रिटर्निंग आफीसर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का सौंप दिया जाना अनिवार्य है।
2. प्ररूप पर उपर्युक्त पदधारी (पदधारियों) द्वारा स्याही से हस्ताक्षर होने चाहिए । किसी पदधारी के प्रतिकृति हस्ताक्षर अथवा रबड़- मुहर के रूप में किया गया हस्तक्षर स्वीकार्य नहीं होगा।
3. फैंक्स द्वारा भेजा गया कोई प्ररूप स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।